न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2017/00255

सिविल प्रकरण संख्याः– 43/2017 तारीख रजू 14.07.2017

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री विमल जैन निवासी 2/35 हाउसिंग बोर्ड, सवाई माधोपुर (फर्म मालिक)– मैसर्स एस.के. एजेंसीज दुकान नं0 6 टोंक रोड बजरिया, सवाई माधोपुर ।
2. धनंजय कुमार सिंह (डायरेक्टर) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड एच 1–49 एण्ड एच 1–50 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर – 302020 निवासी फ्लेट नं0 16 वसुधा अपार्टमेन्ट 16 तल, सेन्चुयरी बाजार वर्लीकर चौक मुम्बई महाराष्ट्र
3. प्रभात नारायण सिंह (डायरेक्टर) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड एच 1–49 एण्ड एच 1–50 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर – 302020 निवासी 103, श्रीराम पैलेस ईस्ट बोरिंग केनाल रोड पटना, बिहार 800001
4. बालमिकी प्रसाद सिंह (डायरेक्टर) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड एच 1–49 एण्ड एच 1–50 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर – 302020 निवासी 101 प्रथम तल वेस्ट मोर पोचखवाला रोड मुम्बई (महाराष्ट्र) 400018
5. नवल किशोर सिंह (डायरेक्टर) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड एच 1–49 एण्ड एच 1–50 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर – 302020 निवासी बुद्धा कॉलोनी बोरिंग केनाल रोड पटना (बिहार) 800001
6. मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड एच 1–49 एण्ड एच 1–50 रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, मानसरोवर, जयपुर – 302020 (विक्रेता फर्म)
7. पवस कुमार (नोमिनी) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड डेराबस्सी वेयरहाउस गांव सुन्दरा पोस्ट मुबारिकपुर तह0 डेराबस्सी मोहाल जिला मोहाली (पंजाब) – 140201
8. मनोज कुमार रॉय (नोमिनी) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड डेराबस्सी वेयरहाउस गांव सुन्दरा पोस्ट मुबारिकपुर तह0 डेराबस्सी मोहाल जिला मोहाली (पंजाब) – 140201
9. दीपक सिंह ठाकुर (नोमिनी) मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड डेराबस्सी वेयरहाउस गांव सुन्दरा पोस्ट मुबारिकपुर तह0 डेराबस्सी मोहाल जिला मोहाली (पंजाब) – 140201
10. मैसर्स एलकेम लेबोरेट्री लिमिटेड डेराबस्सी वेयरहाउस गांव सुन्दरा पोस्ट मुबारिकपुर तह0 डेराबस्सी मोहाल जिला मोहाली (पंजाब) – 140201 (विक्रेता फर्म)
11. नवीन खन्ना (नोमिनी) मैसर्स Cachet Pharmaceutiacals Pvt. Ltd. गांव थाना बड्डी जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) – 173205
12. मैसर्स Cachet Pharmaceutiacals Pvt. Ltd. गांव थाना बड्डी जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) – 173205 (निर्माता फर्म)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः— दिनांक 25.02.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 14.09.2016 को समय 01.00 पी.एम. पर मैसर्स एस.के. एजेंसीज, दुकान नं0 6 टोंक रोड, बजरिया, सवाईमाधोपुर का निरीक्षण कर दुकान पर मौजूद व्यक्ति सुनिल कुमार जैन को अपना परिचय देते हुए दुकान में विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ Health Suppliment Powder (Alprovit) 200 ग्राम के डिब्बो में मिलावट का शक होने पर जांच हेतु नमूना लेने की सूचना फार्म नं0 5ए पर विक्रेता को देकर एवं कुल 8 डिब्बे Health Suppliment Powder (Alprovit) 200 ग्राम के क्रय कर राशि 2000/— रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त कर नियमानुसार नमूना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड क्रमांक **H-1009** के अन्तर्गत संग्रहित किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी सं0 1 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 2 लगायत 6 व प्रत्यर्थी स0 2 लगायत 6 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 7 लगायत 10 व प्रत्यर्थी सं0 7 लगायत 10 से प्राप्त बिल के आधार पर प्रत्यर्थी सं0 11 लगायत 12 को कार्यवाही में शामिल किया गया। उक्त लिये गये नमूने को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक कोटा को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 179/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2016/425 दिनांक 14/12/2016 के द्वारा उक्त नमूना को मिसब्राण्ड घोषित किया गया, जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/2704 दिनांक 12.07.2017 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्तागण उपस्थित हुए एवं प्रकरण में अभियुक्त संख्या 11 व 12 द्वारा जवाब पेश किया। अभियुक्त संख्या 4 लगायत 10 ने प्रकरण में जबाव पेश नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 3 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर जबाव बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में लगायी गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि खाद्य पदार्थ Health Suppliment Powder (Alprovit) को प्रयोगशाला की जांच में मिसब्राण्ड घोषित किया है, अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ Health Suppliment Powder (Alprovit) का विक्रय ... करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण द्वारा बहस में तर्क दिया कि उक्त नमूना उत्पाद माल्ट बेस फूड की केटेगरी में आता है तथा इसी केटेगरी में लाइसेन्स लिया हुआ है। हमारा प्रोडक्ट प्रोटीन बेस है जिसमें माल्ट केवल एक इनग्रेडियन्ट है जिसे केवल फ्लेवर के लिए उपयोग किया गया है। यह कोई प्रोडक्ट का मेजर कम्पोनेन्ट नहीं है इसलिए हमने लेबल पर माल्ट एक्सट्रेक्ट क्वांटिटी को दर्शित नहीं किया है। हमारा प्रोडक्ट इसके कम्पोजिशन के हिसाब से माल्ट बेस्ड फूड की केटेगरी में आता है जैसा कि FSSAI में वर्णित है। हमारा उक्त प्रोडक्ट 2006 में जारी प्रिवेन्शन आफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के तहत माल्ट बेस्ड फूड में ही बनता आया है जैसे ही 2011 में FSSAI एक्ट आया अभियुक्तगण ने माल्ट बेस्ड फूड के लिए लाइसेन्स हेतु एप्लाई कर दिया जिसे अगस्त 2013 में प्रोटीन बेस्ड हेल्थ सप्लीमेन्ट केटेगरी में डालकर लाइसेन्स दे दिया गया तत्पश्चात मार्च 2018 में पुनः हमारे उक्त प्रोडक्ट की केटेगरी माल्ट बेस्ड फूड मानकर लाइसेन्स इश्यु किया गया। हमने अपने प्रोडक्ट का लेबल हेल्थ सप्लीमेन्ट केटेगरी से चेन्ज कर दिया। लेबल प्रिटिंग के संबंधित समस्याओं को देखते हुए जोकि बहुत बडे पैमाने पर हो रही थी, जुलाई 2018 व जनवरी 2020 में डायरेक्टर रेगुलेटरी कम्पलाईन्स एवं डिप्टी डायरेक्टर (आरसीडी) द्वारा इस बाबत नोटिस जारी किये गये कि लेबलिंग में अगर कोई कमी रहती है तो इस कमी को देखते हुए हरेसमेन्ट नहीं किया जावे और इस बाबत सेक्शन 32 एफएसएसएआई एक्ट में लेबलिंग डिफेक्ट्स को इग्नोर करने की बात कही गई है। हमारा प्रोडक्ट अब माल्ट बेस्ड फूड केटेगरी में शामिल है जिसका लाइसेन्स भी इसी केटेगरी का जारी किया हुआ है। जिस वक्त सेम्पलिंग ली जा रही थी, उस वक्त हमारी केटेगरी हैल्थ सप्लीमेन्ट की थी, इस वजह से लेबल प्रिटिंग में डिफेक्ट आया है जिसे मार्च 2018 के उपरान्त रिमूव कर दिया है, चूंकि एक बार माल्ट बनकर मार्केट में सप्लाई हो चुका था, जिसके लेबल को सप्लाई होने के बाद में परिवर्तित किया जाना असंभव था।

अन्त में वकील अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्तगण को आरोपो से मुक्त किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. 179/FSSL/कोटा/एक्ट/2016/425 दिनांक 14/12/2016 के अनुसार एल्प्रोविट हैल्थ सप्लीमेन्ट के दो आर्टिकल के नाम दिये हुए है एक हैल्थ सप्लीमेन्ट तथा दूसरा माल्ट बेस्ड फूड जोकि उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला है तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के नियम 2.2.2.(2)(f) के अनुसार माल्ट की मात्रा अंकित नहीं है जिसके कारण उक्त नमूना मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया है तथा अभियुक्तगण द्वारा उक्त लेबल प्रिंटिंग में आए डिफेक्ट को मार्च 2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

के उपरान्त रिमूव कर दिया गया। नमूना लिये जाते समय उत्पाद एल्प्रोविट पाउडर चॉकलेट फ्लेवर माल्ट बेस फूड प्रोटीन पाउडर के रूप में था जिसके अनुसार उत्पाद में दो आर्टिकल हैल्थ सप्लीमेन्ट तथा माल्ट बेस्ड फूड मौजूद है तथा उक्त प्रोटीन पाउडर में फ्लेवर के रूप में चॉकलेट फ्लेवर उपयोग में लिया गया है। इस प्रकार अभियुक्तगण का कथन कि माल्ट सिर्फ फ्लेवर के लिए उपयोग में लिया गया है सही प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण द्वारा माल्ट की लेबल में मात्रा अंकित नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के नियम 2.2.2.(2)(f) का उल्लंघन किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ Health Suppliment Powder (Alprovit) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है अभियुक्तगण संख्या 4 लगायत 10 द्वारा जरिये अधिवक्ता उक्त सम्पूर्ण शास्ति राशि स्वयं जमा कराने का निवेदन किया गया है। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:08:53 IST
Reason: SelfAttested